

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

78

म.प्र. लोक निर्माण विभाग, रातपुडा भवन, द्वितीया तल भोपाल

website : www.mppwd.nic.in

email : pwdbhop@mp.nic.in

Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

क्रमांक रोड़ मार्किंग/संचार/2012/
प्रति,

3884 भोपाल दिनांक : 8 / 10 / 2012

समस्त मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
..... परिक्षेत्र, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- सड़कों पर रोड़ मार्किंग के कार्यों की स्वीकृति एवं संपादन ।

संदर्भ :- इस कार्याका पत्र क्र.रोड़ मार्किंग/संचार/1425, दिनांक 26/04/2010 ।

कृपया इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा रोड़ मार्किंग के कार्य का समावेश मूल कार्य के प्राक्कलन में किया जाकर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. रोड़ मार्किंग के कार्यों का सड़क के प्राक्कलन में ही समावेश किया जाये तथा सड़क के कार्य हेतु आमंत्रित की गई निविदा में इन कार्यों की भी समावेश किया जाये।
2. यदि सड़कों के वार्षिक मरम्मत मद में रोड़ मार्किंग का कार्य किया जाना है तो उसके संपादन हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जाये। यह कार्य भण्डार खरीदी के अंतर्गत नहीं आता है अतः इस कार्य का संपादन भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत नहीं किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

सहपत्र: शून्य

(इजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियन्ता,
लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्र. /संचार/2012
प्रतिलिपि :-

3885

भोपाल दिनांक : 8 / 10 / 2012

1. निज सचिव, माननीय मंत्र जी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल ।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग ।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियन्ता,
लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)

ज्ञाप क्र. रोड मार्किंग/सं. /1425 भोपाल दि. 26/04/2010
प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- रोड मार्किंग (Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Reflectorising Glass Beads) के लिए निर्देश ।

—0—

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा सड़क एवं पुल के कार्य हेतु जारी किये गये एस.ओ.आर. जो कि दिनांक 15/04/2009 एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग, सी.आर.एफ., ई.एण्ड.आई एवं अन्य सेन्ट्रली फण्डेड कार्यों के लिए एस.ओ.आर. दिनांक 22/06/2009 में रोड मार्किंग के आयटम क्र.8.10 एवं 8.11 के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. इस आयटम का समावेश मूल कार्य में किया जाकर स्वीकृति प्राप्त की जाये ।
3. इस कार्य की परफार्मेंस ग्यारंटी 3 वर्ष रखी जावे एवं अनुबंध में परफार्मेंस ग्यारंटी के लिए किये गये कार्य की 15 प्रतिशत राशि रोकी जावे । किसी भी परिस्थिति में 4 वर्ष के पूर्व उसी सड़क पर रोड मार्किंग नहीं करवायी जाये । उपरोक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे ।

सहपत्र :-

श्री. वि. प्र. उस्ता
प्रमुख अभियंता 28/4/10
लोक निर्माण विभाग भोपाल

पृ क्र. रोड मार्किंग / सं. भोपाल दि. /04/2010

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल
2. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
3. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग

सहपत्र :-

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF,
M.P., P.W.D. SATPURA BHAWAN, BHOPAL


SCHEDULE OF RATES FOR ROAD & BRIDGE WORKS (w.e.f. 22/06/2009)
(ERRATA/AMMENDMENT/ADDENDUM NO.5)

Following ammendments are made in the SOR of Road and Bridge works (applicable for National Highways, CRF, E&I and all other centrally funded works) issued by E-in-C w.e.f. 22/06/2009.

2 The following items are ammended as under :-

Existing				Ammended		
Item No.	Description of item	Unit	Rate	Description of item	Unit	Rate
R-8, 8.11	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Reflectorising Glass Beads on Bituminous Surface (Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorising glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35 .The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes and as per relevant clauses of section-800.	sqm	717.00	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Reflectorising Glass Beads on Bituminous Surface (Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorising glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35 .The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes and as per relevant clauses of section-800.	sqm	611.00

The above ammendments will be effective from 26/04/2010.



28/4/10
ENGINEER-IN-CHIEF
M.P. P.W.D. BHOPAL

Endt. No. IG/SOR/Road/Comm. / 1474

Bhopal, Dated 26/04/2010

Copy is forwarded to :-

1. P.A. to Hon'ble Minister, M.P. P.W.D. Bhopal
2. P.A. to State Minister, M.P. P.W.D. Bhopal
3. The Principal Secretary to Govt. of M.P. P.W.D. Bhopal.
4. The Secretary to Govt. of M.P. P.W.D. Bhopal.
5. The Chief Technical Examiner, M.P. Bhopal.
6. The Principal Secretary to Govt. of M.P. Housing & Environment, Bhopal.
7. The Accountant General, M.P. Gwalior/Bhopal.
8. The Lokayukta, M.P. Bhopal
9. The Chief Engineer, M.P. P.W.D.
10. The Chief Engineer, Rural Engineer Services, M.P. Bhopal
11. The Commissioner, Bhopal
12. The Collector, Bhopal
13. The Superintending Engineer, M.P. P.W.D. Capital Project Circle, CPA Bhopal.
14. The Superintending Engineer, M.P. P.W.D. NH & Bridge Circle
15. The Executive Engineer, M.P. P.W.D. Division


28/4/10
ENGINEER-IN-CHIEF
M.P. P.W.D. BHOPAL